# राजस्थान सरकार
## अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :– नि.प./निदे.अभि/2023/1152-1171 दिनांक – 12 मई, 2023

**मीटिंग कार्यवाही विवरण**

दिनांक 08 मई, 2023 को उदयपुर संभाग में जिला पुलिस एवं अभियोजन में सामंजस्य एवं समन्वय के संबंध में प्रमुख शासन सचिव, गृह की अध्यक्षता में उदयपुर संभाग के संभागीय आयुक्त/महानिरीक्षक पुलिस/अधीक्षक पुलिस/अति. निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला,उदयपुर/उप निदेशक अभियोजन/सहायक निदेशक अभियोजन अधिकारियों के साथ मीटिंग आयोजित की गई । मीटिंग में निम्न अधिकारियों ने भाग लिया :–

| क्र.सं. | नाम अधिकारी | पद अधिकारी |
|---|---|---|
| 1. | श्री रवि शर्मा | निदेशक अभियोजन |
| 2. | श्री राजेन्द्र भट्ट | संभागीय आयुक्त, उदयपुर |
| 3. | श्री अजयपाल लाम्बा | महानिरीक्षक पुलिस, उदयपुर |
| 4. | श्री विकास शर्मा | अधीक्षक पुलिस, उदयपुर |
| 5. | श्री राजन दुष्यन्त | अधीक्षक पुलिस, चित्तौड़गढ़ |
| 6. | श्री अभिजीत सिंह | अधीक्षक पुलिस, बांसवाड़ा |
| 7. | श्री कुन्दन कटारिया | अधीक्षक पुलिस, डूंगरपुर |
| 8. | श्री अमित कुमार | अधीक्षक पुलिस, प्रतापगढ़ |
| 9. | डॉ. परमजीत सिंह | अति. निदेशक आरएफएसएल, उदयपुर |
| 10. | श्री ओमप्रकाश मेहता | उप निदेशक अभियोजन, उदयपुर |
| 11. | श्री राकेश कुमार मित्तल | सहायक निदेशक अभियोजन, उदयपुर |
| 12. | श्री चतुर्भुज शर्मा | सहायक निदेशक अभियोजन, राजसमन्द |
| 13. | श्री मेघराम मीना | सहायक निदेशक अभियोजन, बांसवाड़ा |
| 14. | श्री धर्मेन्द्र सिंह धाबाई | सहायक निदेशक अभियोजन, डूंगरपुर |
| 15. | श्रीमती विनीता सोलंकी | सहायक निदेशक अभियोजन, चित्तौड़गढ़ |
| 16. | श्री सुखराम मईडा | सहायक निदेशक अभियोजन, प्रतापगढ़ |

मीटिंग में उपस्थित अधिकारियों से मीटिंग के निर्धारित विषयों पर निम्नानुसार विस्तार से की गई चर्चा में निम्न निर्णय लिए गए :–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | **महिला एवं बच्चों के विरूद्ध यौन अपराध** | बैठक में महिला एवं बच्चों के विरूद्ध यौन अपराध से संबंधित दर्ज प्रकरणों के संबंध में चर्चा की गई। रिकार्ड के आधार पर ऐसे प्रकरणों की संख्या बढ़ रही है। आरोप–पत्र पेश करने में यद्यपि गत कुछ वर्षों में लगने वाले समय में कमी आई है लेकिन अभी भी राष्ट्रीय औसत से अधिक समय लगा रहा है, जिसे सबसे कम समय में आरोप–पत्र पेश करने वाले राज्यों में लाने के प्रयास किए जाने चाहिए। इस संबंध में जिला पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि महिला एवं बच्चों के विरूद्ध यौन अपराधों के संबंध में दर्ज प्रकरणों में निर्धारित अवधि में अनुसंधान कर न्यायालय में चालाना पेश किया जावे। इसी प्रकार गुमशुदा व्यक्तियों विशेष |

| | | |
|---|---|---|
| | | महिला एवं बच्चों से संबंधित मामलों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में गुमशुदा बच्चों व महिलाओं को ढूंढने के लिए विशेष अभियान चला कर प्रयास किये जाने के निर्देश प्रदान किए गए, विशेषकर जिन मामलों में 06 माह से ज्यादा का समय हो गया है उनमें अगले अधिकतम 03 माह में ढूंढने के निर्देश प्रदान किए गए। |
| 2. | **आरोप पत्र के साथ विधि विज्ञान प्रयोगशाल की रिपोर्ट पेश करने बाबत।** | अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि अनुसंधान के बाद चालान पेश करते समय विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट पेश नहीं की जा रही है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अतिरिक्त निदेशक डॉ. परमजीत सिंह ने प्रकट किया है कि लगभग 02 माह में पॉक्सो, ब्लात्कार, एन.डी.पी.एस.जैसे गंभीर मामलों में अधिकांशतः रिपोर्ट प्रदान कर दी जाती है। इस संबंध में निर्देश प्रदान किए गए कि जहां तक संभव हो ऐसे गंभीर मामलों में ओराप–पत्र के साथ रिपोर्ट आवश्यक रूप से पेश की जाएं। |
| 3. | **पुलिस थानो में खड़े वाहन एवं मालखाना के संबंध में** | अधोहस्ताक्षरकर्ता ने बैठक में बताया कि थानों में दुर्घटना में जप्त वाहनों व विधि प्रकरणों में जप्त सामान बर्षों से बहुत बड़ी संख्या में खडे हुए हैं। अतः प्रयास कर इन जब्त वाहनों व सामान का शीघ्र निस्तरण किया जावे। इसी प्रकार स्वापक औषधिकएवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 52(ए) में वाहन एवं जब्तशुदा पदार्थों का शीघ्र निस्तारण का प्रयास किया जाए। प्रमुख शासन सचिव, गृह महोदय ने थानों में खड़े वाहनों की 06 माह में निस्तारण करने के सुझाव पर सहमति देते हुए इसे गंभीरता से किए जाने के निर्देश प्रदान किए। इसी के साथ थानों में रखे अन्य मालखानों शराब, मादक पदार्थ आदि को संबंधित गवाह के साक्ष्य के दौरान प्रदर्शित करवाने के तत्काल पश्चात इनका निस्तारण अभियोजकों की मदद से किए जाने के निर्देश दिए गए। |
| 4. | **संवीक्षा रिपोर्ट** | अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि अधिकांश मामलों पुलिस द्वारा अनुसंधान के बाद चालान पेश करते समय अभियोजन अधिकारी द्वारा अनुसंधान की कमियां इंगित की जाती है उनको दूर नहीं किया जाता है तथा चालान न्यायालय में पेश कर दिया जाता है। पुलिस प्रशासन से अपेक्षा की जाती है कि वह अभियोजन अधिकारी द्वारा चालान पेश करते समय इंगित कमियों की पूर्ति करने के बाद ही चालान पेश किया जावे ताकि प्रकरण में प्रभावी पैरवी की जाकर प्रकरण में सजा दिलाई जा सके। इसी प्रकार पुलिस द्वारा एफ.आर. अभियोजन अधिकारी के मार्फत ही पेश की जावे। |
| 5. | **राष्ट्रीय समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (राजपासा)** | बैठक में राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण विरोधी अधिनियम (राजपासा) में निरूद्ध किये जाने वाले आपराधियों के विरूद्ध लंबित प्रकरणों को "केस ऑफिसर" स्कीम में लेकर 01 वर्ष में प्रकरण का निस्तारण किए जाने एवं अभियोजन साक्षियों को राजस्थान साक्षी संरक्षण योजना, 2020 में सुरक्षा प्रदान किये जाने पर जोर दिया गया। |
| 6. | **भूमि आवंटन** | अधोहस्ताक्षर द्वारा संभागीय आयुक्त महोदय को अवगत कराया गया कि उदयपुर संभाग के कई अभियोजन कार्यालय जो अन्य विभागों के भवनों में चल रहे है, अभियोजन कार्यालय हेतु कोई भूमि आवंटित नहीं हैं। उदयपुर संभाग के ऐसे स्थानों की सूची श्रीमान संभागीय आयुक्त, उदयपुर को प्रस्तुत की गई, जिस पर संभागीय आयुक्त महोदय ने शीघ्र कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया। |
| 7. | **नाथद्वारा, राजसमन्द अभियोजन भवन के संबंध में।** | नाथद्वारा, राजसमन्द में अभियोजन भवन लम्बे समय से छत तक निर्माण होने के पश्चात कार्य रूका हुआ है। इस संबंध में सार्वजनिक निर्माण विभाग नाथद्वारा राजसमन्द के अधिकारियों से हुए पत्राचार के अनुसार केवल चेतावनी दी गई, शेष काम नहीं करवाया गया है एवं ना ही कोई कार्यवाही इस संबंध में की गई है। अतः संभागीय आयुक्त, उदयपुर से यह अपेक्षा की गई कि वे शेष कार्य को यथाशीघ्र पूरा करवाये तथा लम्बे समय तक कार्य नहीं करने बाबत संबंधित के खिलाफ उचित कदम उठावें। |

बैठक में चर्चा के दौरान अधीक्षक पुलिस, डूंगरपुर ने अवगत कराया कि संभाग स्तर पर गंभीर प्रकृति के मामलों में विधिक राय हेतु एक अभियोजन अधिकारी रखा जाना चाहिए जो अनुसंधान के दौरान समय–समय पर कानूनी राय दे सके। ताकि अनुसंधान में ठोस साक्ष्य एकत्रित किये जा सके। इस संबंध में उनको अवगत कराया गया कि जिला स्तर पर सहायक निदेशक अभियोजन व संभाग स्तर पर उप निदेशक अभियोजन अधिकारी जैसे वरिष्ठ एवं अनुभवी अधिकारी पदस्थापित हैं, जिनकी सेवाएं आवश्यकतानुसार ली जा सकती है।

इसी प्रकार बैठक में चर्चा के दौरान अधीक्षक पुलिस, चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि पुलिस थानों में खड़े वाहनों व मालखानों के निस्तरण के संबंध में न्यायालय में पुलिस की ओर से मालखना निस्तरण के बाबत प्रार्थना–पत्र पेश किये गये हैं परन्तु उक्त प्रार्थना–पत्रों का निस्तरण नहीं हो रहा है तथा प्रार्थना–पत्र वर्तमान में भी लंबित हैं, इस हेतु अभियोजन अधिकारियों द्वारा सहयोग कराया जाए। अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा इस संबंध में लंबित प्रार्थना–पत्रों की जिलावाईज सूचना उपलब्ध कराने हेतु कहा गया। सूची प्राप्त होने पर इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही का प्रयास किया जाएगा।

अंत में बैठक सधन्यवाद के साथ समाप्त की गई।

(रवि शर्मा) 12/05/23
निदेशक अभियोजन

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह।
2. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, उदयपुर
3. महानिरीक्षक पुलिस, उदयपुर/अधीक्षक पुलिस, उदयपुर/बांसवाड़ा/डूंगरपुर/प्रतापगढ़/राजसमन्द/चित्तौड़गढ़
4. अति. निदेशक अभियोजन, न्याय/अभियोजन, राजस्थान, जयपुर
5. उप/सहायक निदेशक अभियोजन (मुख्यालय)/सतर्कता, जयपुर।
6. संबंधित उप/सहायक निदेशक अभियोजन।

निदेशक अभियोजन 12/05/23
राजस्थान, जयपुर